

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)  
राजस्व लोक अदालत केम्प सिन्दरू, तहसील सुमेरपुर

पीठासीन अधिकारी:- श्री विनोद कुमार मल्होत्रा आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.- 70/2016  
दायर तिथि- 05.12.2016  
तारीख फैसला- 18.05.2018

वादीगण-

- 1-रमेशकुमार पुत्र नेमीचन्दजी आयु बालिग
- 2-राजुल पत्नि स्व. दिनेश कुमार आयु बालिग
- 3-कल्पेश कुमार पुत्र स्व. दिनेश कुमार आयु बालिग
- 4-हर्षा पुत्री स्व. दिनेश कुमार आयु बालिग
- 5-वर्षा पुत्री स्व. दिनेश कुमार आयु बालिग
- 6-गजेन्द्र पुत्र नेमीचन्द आयु बालिग
- 7-रसीला पुत्री नेमीचन्द आयु बालिग जातिगण जैन निवासीगण सिन्दरू तहसील सुमेरपुर जिला पाली राज

बनाम

प्रतिवादीगण-

- 1-रूपाराम पुत्र हेमाराम आयु बालिग
- 2-गटाराम पुत्र हेमाराम आयु बालिग
- 3-जीवाराम पुत्र हेमाराम पुत्र आयु बालिग  
समस्त जातिगण मारू कुम्हार निवासीगण सिन्दरू तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राजस्थान)।
- 4-तहसीलदार सुमेरपुर जिला पाली (राजस्थान)।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट, 1955

-:निर्णय:-


वादीगण का यह वादपत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण के स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा सिन्दरू में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नं.37 कुल रकबा 1.90 हैक्टर किस्म बा. सो. है। जिसमें वादिगण रमेश कुमार गजेन्द्र कुमार पि. नेमीचन्द रसीला पुत्री नेमीचन्द राजुल पत्नि दिनेश कुमार कल्पेश पुत्र दिनेश कुमार हर्षा, वर्षा पुत्रियां दिनेश कुमार कौम ओसवाल सा.देह खातेदार ख.न. 37/1 रकबा 1.26 हैक्टर व प्रतिवादीगण रूपाराम गटाराम जीवाराम पि. हेमाराम कौम मारू कुम्हार सा.देह खातेदार ख.न. 37 रकबा 0.64 हैक्टरकिस्म बा.सो. का खातेदार घोषित किया जाता है। जिसकी रिपोर्ट व नजरी नक्शा पटवारी हल्का सिन्दरू से प्राप्त कर रेकॉर्ड पर लिये गये जिसके फलस्वरूप उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि बाबत पक्षकारों के मध्य निम्न रूपेण अन्तिम विभाजन किया जाता है।

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा(हैक्टर)	किस्म	लगान
1	रमेश कुमार गजेन्द्र कुमार पि. नेमीचन्द रसीला पुत्री नेमीचन्द राजुल पत्नि दिनेश कुमार कल्पेश पुत्र दिनेश कुमार हर्षा, वर्षा पुत्रियां दिनेश कुमार कौम ओसवाल सा.देह खातेदार	37/1	1.26	बा.सो.	5.04
2	रूपाराम गटाराम जीवाराम पि. हेमाराम कौम मारू कुम्हार सा.देह खातेदार	37	0.64	बा.सो.	2.56

उपखण्ड अधिकारी  
सुमेरपुर (पाली)

अतः वादी का यह वादपत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण के स्वीकार एवं डिक्री किया जाकर उपरोक्तानुसार अन्तिम विभाजन किया जाता है तथा बंटवाड़ा मुजब खातेदार एक-दुसरे की बंट व हिस्से की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार से दखलंदाजी या हस्तक्षेप नहीं करेंगे एवं ना ही अन्य किसी से करायेंगे, इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है। माफिक बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत अंतिम डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। तहसीलदार सुमेरपुर एवं हल्का पटवारी सिन्दरू उपरोक्त निर्णय एवं डिक्री अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद व राजस्व नक्शा में तरमीम कर पालना सुनिश्चित करे। पटवारी हल्का सिन्दरू से प्राप्त प्रस्तावित बंटवाड़ा रिपोर्ट व नजरी नक्शा इस निर्णय अभिन्न भाग माना जायेगा।

निर्णय आज दिनांक 18.05.2018 को राजस्व लोक अदालत केम्प सिन्दरू में सुनाया गया।

  
**उपखण्ड अधिकारी**  
सुमेरपुर (पाली)  
सुमेरपुर